सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 29, गुरूवार, *शाके* 1947- जून 19, 2025
Jyaistha 29, Thursday, Saka 1947- June 19, 2025

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जून 10, 2025

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/15816640:- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 5122 दिनांक 17.03.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत नांगल खोड़िया का राजस्व ग्राम नांगलखोडिया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा का राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा, सोरवा, मावडी, नासरपुर, नारेडा कलां, झारोडा, जयसिंहपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत खोहरी का राजस्व ग्राम खोहरी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत हमीदपुर का राजस्व ग्राम हमीदपुर, मुण्डिया खेड़ा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पांयत खरखड़ा का राजस्व ग्राम खरखड़ा, खेड़की, कांकरछाजा एवं कृष्णनगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत गूंती का राजस्व ग्राम गूंती, नालोता का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत शेरपुर का राजस्व ग्राम शेरपुर, गोकुलपुर, शिमला एवं श्यामपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, **ग्राम पंचायत जागुवास का राजस्व ग्राम** जागुवास, मोमनपुर, तलवाड एवं **सरविन्दपुरा** का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत कांकरदोपा का राजस्व ग्राम कांकरदोपा, कल्याणपुरा, नंगला रूध एवं देवनगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत दहमी का राजस्व ग्राम दहमी, दुधेडा, हमजापुर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत मांचल का राजस्व ग्राम मांचल, मिलकपुर एवं खातनखेड़ा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत रिवाली का राजस्व ग्राम रिवाली एवं भीटेडा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद बहरोड (जिला कोटपूतली-बहरोड) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत / राजस्व ग्रामों को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14851914 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया था।

चूँकि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा उनकी अधिसूचना राजकाज क्रमांक 15772688 दिनांक 07.06.2025 के द्वारा उनकी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 5122 दिनांक 17.03.2025 के द्वारा उक्त नगर परिषद की सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये गये सीमा क्षेत्र में से **ग्राम पंचायत जागुवास का राजस्व ग्राम सरविन्दपुरा** के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद सीमा से पृथक किया गया है जिसके फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ग्राम पंचायत जागुवास का राजस्व ग्राम सरविन्दपुरा** के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को **पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित किया जाता है।**

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।